विक्रता - विजय स्टोर्स, रेस्ट हाऊस के पास, सपोटरा ☎ 250238

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

कार्यालय तहसीलदार सपोटरा (राज0)

क्रमांक 4792 30/3/17 दिनांक .....

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सरिता बाई मीना

सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री रामप्रसाद मीना

गांव/नगर ओड्या जिला/डिवीजन करौली (भरतपुर) क्षेत्र राजस्थान

जाति/समुदाय मीना (ST) का है, जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 ST
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1951; बम्बई पुन पंजाब अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम, 1971; और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; द्वारा संशोधन किये गये अनुसार)
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- संविधान (अण्डमान निकोबार दीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादर तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (गोआ, दामन तथा दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमती/कुमारी सरिता बाई मीना और/अथवा उसका परिवार ओड्या गांव/नगर करौली जिला/डिवीजन करौली राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

स्थान सामान्य परिवार की सूची उपलब्ध

दिनांक जाति के मीना की सूची

ह0 तहसीलदार (मोहर)

- कृपया उन शब्दों को काट दीजिए जो लागू नहीं होते।

विशेष- यहां पर प्रयुक्त 'सामान्यतः रहता है', का अर्थ वही होगा जो प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

द्वारा सत्यापित

Scanned with CamScanner